

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत
सोहन लाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम भीलवाड़ा

बनाम

सोहन

सं मुकदमा

राजस्व प्रार्थना पत्र

नं० 93

सन् 2024

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुक्म की तामील
में जारी हुए

03-2024

राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सेन हाजिर। हाजिर होकर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया। दर्ज योग्य पाये जाने से दर्ज रजिस्टर का आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र जरिये नोटिस तलब किया जावे। प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाना है। अतः अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अध्यक्षीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाकर तहसीलदार भीलवाड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि मौजा पुर पटवार हल्का पुर-प्रथम भू. अभि. नि. क्षेत्र पुर तहसील भीलवाड़ा के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 1768 में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदरी की आराजी संख्या 7140 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टर स्थित है, प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन हेतु ट्रेक्टर-बैलगाड़ी, मवेशी आदि लाने-ले-जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि आराजी नम्बर 10524/7142 की उत्तरी पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई के रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में नया रास्ता चाहता है। अतः मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जावे कि-

1. "क्या प्रार्थी को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है", अगर हाँ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी),
2. "यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करावें।"
3. "यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है" तो मौका कमिश्नर प्रकरण के समस्त पक्षकारान् को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत् सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान् को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें। (मय पर्चा मौका),
4. सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौड़ाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर पक्षकारान् को दी जाने वाली राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)। मौका कमिश्नर को लिखा जावें।

Shad

03-09.25 पणवली दिनांक 03-9-25 को अवरुध
होने से क्षात्र दिनांक को पेश इध
आज का ए लोसियलन का कार्य
स्थगन होने से पणवली स्टाफि
आदेश के दिनांक 08-9-25 को पेश हो

[Handwritten signature]

08-9.25 पणवली पेश। प्राथगिन व प्राथगिन
साधिवरता उपस्थित नहीं। प्राथगिन
प्राथगिन साधिवरता को तीन बार
आवाज लगायी गयी। परन्तु उपस्थित
नहीं। अतः पणवली प्राथगिन को
अदम हामरी व प्राथगिन साधिवरता
को अदम पैरवी मेरवारिम दिया
जाता है। पणवली फुशल सुमाद लेबर
नम्बर से उम लो

[Handwritten signature]
अधिकारी
मालवा